समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला राजस्व शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

पूर्णियाँ जिला में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–17 कम्प्यू0 (एजेंसी)–13 / 2009–1928 दिनांक 07.12.12 में दिये गये निदेश अनुसार भू–अभिलेख के कम्प्यूटराईजेशन हेतु निम्नलिखित प्रकार का कार्य कम्प्यूटर से कराने के निमित्त दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है। :–

1. Data entry of Revenue Records
2. Printing in A3 size Century paper

इच्छुक निविदादाता तकनीकि एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में निम्नलिखित शर्त्तों के साथ दिनांक 18.03.13 को 12:00 बजे अपराह्न तक जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ में दे सकते हैं।

सभी निविदा 18.03.13 को 4:00 बजे अपराह्न जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ में किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यावंटन से पूर्व समिति द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरानामा कर हस्ताक्षर करना होगा। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायगा।

तकनीकी निविदा में सफल सवेदकों का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(क) तकीनीकि निविदा की शर्त्तें

1. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर (VAT) एवं आयकर में (PAN) निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा। VAT कटौती के उपरांत ही फर्म को राशि का भुगतान किया जायगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0–10,000 / (दस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफट मूल में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पदनाम से संलग्न करना होगा।
3. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव / कार्यादेश की प्रति संलग्न किया जाय।
4. निविदादाता को निविदा के साथ उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है, से संबंधित शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी Operating System Licensed/Legal authorized है।
6. डाटा इन्ट्री मुख्यतः हिन्दी में एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किए गये भू–अभिलेख साफ्टवेयर में विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाना है।
7. निविदादाता को प्रत्येक अनुमंडल के लिए कम से कम निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति स्वंय करनी है। आवश्यकतानुसार कार्य को समय अवधि के भीतर समाप्त करने हेतु निविदादाता को और अधिक मशीन एवं सामग्री लगाने का निदेश दिया जा सकता है, जिसे निविदादाता को आपूरित करना होगा।

(1) Hardware (Branded)

(a) Server (Xeon Processor with Min 4GB RAM and 1020 GB HDD) 1Pcs
(b) Client (Dul core Or ABOVE D40 Processor 2 GB RAM and 500 GB HDD-4 Pcs
(c) Laser Printer (A3 Size Printing)- HP Series 4500 or above-2 Pcs
(d) Online UPS of capacity 5 KVA with 2 Hours backup -1 Pcs

(2). Software (Licensed Copy)

(a) Operating system Windows-2008 (with SP-2)
(b) RDBMS SQL Server-2008 Standard Edition
(c) Visual Studio-2008

8. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध साधनों (Pool Sources) का विवरण यथा –कम्प्यूटर सेट,यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर विशिष्टता के साथ सही–सही अंकित करना होगा। साथ हीं कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की संख्या, जेनरेटर प्रतिदिन, डाटा इन्ट्री करने की क्षमता तथा प्रतिदिन प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि सही–सही अंकित करना होगा। निविदा में अंकित

विवरणी उक्त के अनुरूप नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

9. निविदादाता को लेजर प्रिंटिंग हेतु Original Tonner का ही उपयोग करना होगा तथा A3 Size सेनच्यूरी पेपर का ही उपयोग करना होगा।

10. सभी कार्यो को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से विपत्र में कटौती की जायेगी तथा अग्रधन की राशि जप्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा। द्वितीय चेक लिस्ट में 2% से अधिक त्रुटि रहने पर दंड स्वरुप जुर्माना की वसूली किये गये कार्य के विरुद्ध भुगतेय राशि से किया जायेगा।

11. किसी भी परिस्थिति में Sub- contracting स्वीकार नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संबंधित फर्म के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

12. चयनित निविदादाता को दो प्रति में Total Data base (Data virus Malwarefree स्थिति में) सभी Operating Codes के साथ कार्य समाप्ति के उपरान्त जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ में उपलब्ध कराना होगा।

13. डाटा इन्ट्री के लिए प्रपत्र एवं अन्य किसी तकनीकी जानकारी हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पूर्णियाँ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

14. डाटा इन्ट्री कार्य 4 अनुमंडल यथा–सदर, पूर्णियाँ/बनमनखी/बायसी एवं धमदाहा में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के पर्यवेक्षण में कार्य कराया जायेगा। निविदादाता को उक्त चारों कार्यालयों में कार्य करना होगा। इसके लिए निविदा में स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।

15. आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा कार्य का स्थल परिर्वतन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।

16. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वंय के खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. समिति से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यो के लिए समय सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

18. डी0आई0ओ0 पूर्णियाँ द्वारा डाटा इन्ट्री कार्य के विरूद्ध की गई कुल खेसरा इन्ट्री कार्य की गणना के प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता इस आशय का प्रमाण पत्र देगें कि "डाटा इन्ट्री की सत्यता की जाँच कर ली गई है।"

19. उक्त निविदा को जिले के वेबसाईट http://purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(ख) वित्तीय शर्त्ते

1. डाटा इन्ट्री का दर प्रति खेसरा इन्ट्री के आधार पर होगा।(प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं0–17 कम्प्यू0 (एजेंसी)–13/2009–1928 दिनांक 07.12.12 में दिये गये निदेश अनुसार)
2. प्रिंटिग A3 साईज सेंचूरी पेपर का मुद्रण (कागज सहित)

(ग) सामान्य शर्त्ते

1. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाताओं के बीच आवंटित किया जा सकता है।
2. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई भी सूद की राशि देय नहीं होगा।
4. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला राजस्व शाखा)

आदेश

भू– अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण हेतु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 17–कम्प्यु–(एजेन्सी)–13/2009–1928 दिनांक 17.12.2012 के निदेशानुसार डाट्रा इन्ट्री कार्य हेतु प्रति खेसरा के दर से निविदा आमंत्रित किया जाना है। पूर्व में प्रति किलो बाईट की व्यवस्था थी जिसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 3415/रा0 दिनांक 29.12.2012 द्वारा प्रकाशित भू–अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण से संबंधित अल्पकालीन निविदा के आधार पर आमंत्रित निविदा तथा उसके आधार पर क्रय समिति द्वारा की गई एजेन्सी चयन हेतु कृत कार्रवाई को रद्द किया जाता है।

उक्त आशय की सूचना सभी निविदादाताओं एवं क्रय समिति के सदस्यों को देते हुए निविदादाताओं द्वारा जमा किया गया अग्रधन की राशि उन्हें वापस किया जाय।

Sd/-

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 675 **/रा0, पूर्णियाँ, दिनांक** 28/2/13

प्रतिलिपि सभी निविदादाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी क्रय समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 28/2/13

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।